

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोवर्धन दास बनाम सोमा  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 113/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोवर्धन दास</u> पिता श्री <u>सोमा</u> निवासी- <u>संगमपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>घोसुडी (तहसील)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>593, 594, 595, 596, 597</u> की कुल रकबा <u>1.48</u> एं. नं. <u>593</u> रकबा <u>0.04</u> 1810</p> <p>कुल कीता <u>54=06</u> कुल रकबा <u>1.5200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>घोसुडी (तहसील)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>593, 594, 595, 596, 597</u> की कुल रकबा <u>1.48</u> एं. नं. <u>593/1810</u> रकबा <u>0.04</u> है।</p> <p>कुल कीता <u>54=06</u> रकबा <u>1.52</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>